पुराना सचिवालय : ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

वर्ष 1911 तक भारत की राजधानी दिल्ली न होकर कलकत्ता थी। विधान परिषद् की बैठकें गवर्नमेंट हाउस, कलकत्ता में हुआ करती थीं। राजधानी को दिल्ली स्थानान्तरित करने के बारे में लिए गए निर्णय के अनुसरण में पुराना सचिवालय भवन की रूपरेखा ई० मोन्टेग टॉमस द्वारा तैयार की गयी थी और इसका निर्माण कार्य वर्ष 1912 में पूरा हुआ। पुराना सचिवालय के सभागार में विधान परिषद् की पहली बैठक 27 जनवरी, 1913 को हुई थी। दिल्ली को इसकी प्राचीन हिन्दू–मुस्लिम एकता, सांस्कृतिक परम्परा और इसकी भौगोलिक स्थिति के कारण ही देश की राजधानी के रूप में चुना गया था।

विधान सभा का वर्तमान स्थल काउंसिल चैम्बर का स्थल था, जिसने दिल्ली में 1912 से कार्य करना आरम्भ किया था। संसद भवन के निर्माण के पश्चात् (जिसका उद्घाटन 18 जनवरी, 1927 को लॉर्ड इरविन, तत्कालीन भारत के गवर्नर जनरल द्वारा किया गया था) केन्द्रीय विधान सभा का तीसरा सत्र संसद भवन में 19 जनवरी, 1927 को सम्पन्न हुआ था। इस प्रकार 1912 से 1926 तक केन्द्र की काउंसिल चैम्बर का स्थल होने का गौरव पुराना सचिवालय को प्राप्त हुआ था।

इस अवधि में केन्द्रीय विधान मण्डल के विकास के दो चरण थे – पहला वर्ष 1912 से 1920 तक तथा दूसरा वर्ष 1920 और उससे आगे। पहले चरण में विधान मण्डल को 'इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल' के नाम से जाना जाता है और यह बजट, कर, सुधार और रेलवे से संबंधित सभी पहलूओं को ध्यान में रखते हुए बहुत महत्त्वपूर्ण विधानों को पारित करती थी। सबसे महत्त्वपूर्ण विषय, जिस पर इस केन्द्रीय विधान सभा में चर्चा की गई थी, वह था – 'रौलेट बिल'। इस बिल पर हुए वाद–विवाद में विशिष्ट भारतीय सांसदों ने हिस्सा लिया था। उन्होंने इस विधेयक को स्वतन्त्रता और न्याय के सिद्धांत का विनाशक और व्यक्तिगत मूलभूत अधिकारों को नष्ट करने वाला करार देते हुए इसका प्रबल विरोध किया था। इस दमनकारी कार्यवाही के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आरम्भ करने की नीति को जारी रखने हेतु महात्मा गाँधी ने मार्च के प्रथम सप्ताह में दिल्ली का दौरा किया। बापू ने पुराना सचिवालय के ऐतिहासिक सभागार में विधेयक पर हुई चर्चा सुनी थी। अतः पुराना सचिवालय भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीय नेताओं के महान योगदान का स्मारक है।

दूसरे चरण में केन्द्रीय विधान मण्डल के दो सदन थे – 'केन्द्रीय विधान सभा' और 'काउंसिल ऑफ स्टेट'। विधान सभा की बैठक इसी पुराना सचिवालय के सभागार में हुआ करती थी और काउंसिल ऑफ स्टेट की बैठकें मैटकॉफ हाउस में होती थीं। केन्द्रीय विधान मण्डल ने कुछ बहुत ही महत्त्वपूर्ण विधानों को पारित करते हुए संवैधानिक सुधारों के मामलों पर निर्णय लिया था और दमनकारी कानूनों की निन्दा करते हुए विभिन्न संकल्पों को स्वीकार किया था। केन्द्रीय विधान सभा के बजट पर विस्तार से चर्चा होती थी तथा भारतीय नेता, जो विधान सभा के सदस्य थे, उनके द्वारा इस विधान सभा में बेहतरीन भाषण दिए गए थे।

पुराना सचिवालय के सभागार में बैठने वाले महान् सांसदों ने ही भारत की भावी संसद की नींव यहाँ रखी थी। यही वह मंच था जहाँ बजट पर चर्चाओं और विधानों को पारित करने की प्रक्रियाओं का विकास हुआ तथा स्थायी समितियों जैसे – स्थायी

THE OLD SECRETARIAT : A HISTORICAL BACKGROUND

Till 1911, Calcutta and not Delhi, was the capital of India. The Legislative Council used to meet at Government House, Calcutta. Pursuant to the decision to transfer the capital to Delhi, the Old Secretariat Building was designed by E. Montague Thomas and its construction completed in 1912. The first sitting of the Legislative Council was held in the Chamber at Old Secretariat on 27th January, 1913. Delhi was chosen as the capital because of its old traditions of Hindu-Muslim unity, also due to its strategic and geographical location and as a seat of culture.

The present site of Legislative Assembly was the site of the Council Chamber which started functioning in Delhi from 1912 onwards. After the construction of Parliament House building (the opening ceremony of which was performed on 18th January, 1927 by Lord Irwin, the then Governor-General of India), the third session of Central Legislative Assembly was held in Parliament House on 19th January, 1927. So, from 1912 to 1926 the pride of place was occupied by the Council Chamber of the Central Government at Old Secretariat.

In this period, there were two stages of the evolution of Central Legislature–first from 1912 to 1920 and the second from 1920 onwards. In the first stage, the Legislature was called the Imperial Legislative Council and it passed very important legislations, covering all aspects regarding budget, legislation, tariff, reforms and working of railways. The most important of all matters discussed was the Rowlatt Bill. In this debate, very distinguished Indian Parliamentarians participated. They vehemently protested against the move describing it as unjust, subversive to the principles of liberty as well as justice and destructive of the elementary rights of individual. Mahatma Gandhi paid a visit to Delhi in the first week of March, 1919 and heard the debate on the Bill in the historic Chamber of the Old Secretariat. Thus, Old Secretariat is a memorial to the great contribution of Indian Leaders to India's Freedom Movement.

In the second stage, the Central Legislature consisted of two Houses – The Legislative Assembly and the Council of State. The Legislative Assembly used to meet in the Chamber here at Old Secretariat and the Council of State held its meetings in Metcalf House. The Central Legislature passed some very important legislations, matters of constitutional reforms were decided and resolutions condemning the repressive laws were adopted. The budgets of the Legislative Assembly were debated at length and some of the finest speeches were made by Indian Leaders who were Members of the Assembly.

The Legislators who sat in the Chamber at Old Secretariat laid the foundation of India's future Parliament. It was here that procedures for budgetary discussions, procedures for

वित्त समिति आदि का गठन किया गया। इसी सभागार में सदन की कार्यवाही को सुचारु रूप से चलाने के सम्बन्ध में नियम बनाए गए थे। विधान मण्डल के अध्यक्ष ने (जिन्हें उस समय 'प्रेजीडेंट' के नाम से पुकारा जाता था) अपनी व्यवस्थाओं और निर्णयों द्वारा भावी संसदीय प्रक्रियाओं की नींव डाली थी। यही वह जगह भी थी, जहाँ अति महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा और विचार–विमर्श किया गया था तथा सदस्यों को अपने विचारों को खुले मन से व्यक्त करने की अनुमति दी गई थी। विधान मण्डल के सदस्यों के विशेषाधिकारों को यहीं पर अमली जामा पहनाया गया था और नये उदाहरण व परिपाटियाँ स्थापित की गई थीं।

निम्नलिखित राष्ट्रीय नेताओं और विख्यात स्वतंत्रता सेनानियों ने 1912-1926 की अवधि के दौरान इस भवन के इतिहास पर अपनी छाप छोड़ी थी :–

इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के महत्त्वपूर्ण सदस्य

श्री गोपाल कृष्ण गोखले
श्री विट्ठल भाई पटेल
पं० मदन मोहन मालवीय
श्री सुमन श्रीवास्तव
श्री एस० एन० बनर्जी
श्री विजय राघवचारी
श्री एच० एम० मुधोलकर
श्री एस० पी० सिन्हा
श्री मज़रूल हक
श्री मियां मो० उल शफी
श्री नवाब सैयद मोहम्मद
श्री सुन्दर सिंह मजीठिया
महाराज वर्धमान
राजा प्रतापगढ़

केन्द्रीय विधान मंडल के महत्त्वपूर्ण सदस्य

पं० मोती लाल नेहरू
पं० मदन मोहन मालवीय
श्री जे० एन० मजुमदार
श्री रंगाचारियार
श्री मुंशी ईश्वर सहाय
लाला लाजपत राय
श्री श्रीनिवास शास्त्री
श्री तेज बहादुर सप्रू
श्री बिशम्बर नाथ
श्री जमना दास द्वारका दास
श्री एन० एम० जोशी
श्री सी० आर० दास
श्री विट्ठल भाई पटेल
श्री शिवास्वामी अय्यर
श्री अमर नाथ दत्त

सेंट्रल लेजिस्लेटिव एसेंबली (1921-1926) के सत्र

क्र. सं.	एसेंबली	सत्रारंभ की तिथि	कुल आयोजित सत्रों की संख्या	बैठकों की संख्या	विघटन की तिथि
1.	प्रथम एसेंबली (1921-23)	03/02/1921	3	170	12/09/1923
2.	दूसरी एसेंबली (1924-26)	30/01/1924	5	170	15/09/1926

passing legislation were evolved and standing committees, such as the Standing Finance Committee, were formed. Standing Orders were framed. Speaker of the Legislature (then called President), by his rulings and judgments, created a tradition for future Parliamentary procedures. It was here that most important national and international issues were discussed and debated and Members were allowed to have full expression of their views. The privileges of Members of the Legislature were recognized and new precedents and conventions were established.

The following national leaders and veteran freedom fighters left their mark on the history of this building during the period of 1912 –1926 :-

Important Members of Imperial Legislative Council

Shri Gopal Krishan Gokhle
Shri Vithalbhai Patel
Pt. Madan Mohan Malviya
Shri Suman Shrivastava
Shri S.N.Banerji
Shri Vijay Raghavachari
Shri H.M.Mudholkar
Shri S.P.Sinha
Shri Mazrul Haq
Shri Mian-Mohd. Ul Shafi
Shri Nawab Syed Mohd.
Shri Sunder Singh Majithia
Maharaj Vardhaman
Raja Pratapgarh

Important Members of the Central Legislature

Pt. Moti Lal Nehru
Pt. Madan Mohan Malviya
Shri J.N.Majumdar
Shri Rangachariar
Shri Munshi Ishwar Sahai
Lala Lajpat Rai
Shri Shreenivas Shastri
Shri Tej Bahadur Sapru
Shri Bishamber Nath
Shri Jamna Das Dwarka Das
Shri N.M.Joshi
Shri C.R.Das
Shri Vithal Bhai Patel
Shri Shivaswami Iyer
Shri Amar Nath Dutt

Sessions of the Central Legislative Assembly (1921-1926)

S. No.	Assembly	Date of Commence-ment of Session	Total No. of Sessions held	Number of Sittings	Date of Dissolution
1.	First Assembly (1921-23)	03/02/1921	3	170	12/09/1923
2.	Second Assembly (1924-26)	30/01/1924	5	170	15/09/1926

उल्लेखनीय है कि दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रथम दीक्षान्त समारोह 26 मार्च, 1923 को पुराना सचिवालय के एसेम्बली हाल में ही हुआ था जिसमें 750 अतिथि आमंत्रित किए गए थे। लॉर्ड रीडिंग, सर मोहम्मद जहाँ और सर हरि सिंह गौड़, (दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रथम उपकुलपति) को मानद उपाधियाँ प्रदान की गई थीं।

वर्ष 1926 में भारत सरकार ने पुराना सचिवालय भवन के केन्द्रीय भाग को जिसमें विधान सभा हॉल और इसके साथ लगे कमरे शामिल थे, दिल्ली विश्वविद्यालय को 350/- रुपये प्रतिमाह की दर से किराये पर दे दिया था और विश्वविद्यालय ने सितम्बर में इन कमरों का अधिकार (कब्जा) ले लिया था।

जब नई दिल्ली भारत की राजधानी बनी और वर्ष 1931 में उसका उद्‌घाटन हुआ, तब पुराना सचिवालय के इस केन्द्रीय हॉल का उपयोग शैक्षणिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन हेतु किया जाने लगा।

नई राजधानी की स्थापना होने के बाद पुराना सचिवालय काफी लम्बे समय तक परित्यक्त और सुनसान रहा किन्तु आजादी के बाद जब दिल्ली को 'पार्ट–सी' राज्य के रूप में विधान सभा प्रदान की गई तो वर्ष 1952 में इसमें राजनीतिक गतिविधियाँ फिर से तेज हो गईं। वर्ष 1956 में इस विधान सभा को भी समाप्त कर दिया गया। इसके पश्चात् दिल्ली को वर्ष 1966 में 'महानगर परिषद्' नामक जन प्रतिनिधि संस्था प्रदान की गई, जिसकी परिचर्चाएं भी इसी सभागार में हुआ करती थीं। महानगर परिषद के स्थान पर जब दिल्ली को विधान सभा प्रदान की गई तो दिसम्बर, 1993 से इस पुराना सचिवालय के सभागार में विधान सभा की बैठकें हो रही हैं।

पुराना सचिवालय का वास्तुशिल्प

पुराना सचिवालय को लंबे अग्रभाग व दोनों ओर दो संरचनाओं वाला एक सुंदर भवन माना जाता है। अलीपुर रोड के सामने वाला भाग अर्द्धचंद्राकार रूप में सुंदर घुमाव लिए हुए है। सामने का प्रवेश द्वार केंद्रीय चेंबर से जुड़ा हुआ है।

दोनों ओर के कोनों पर दो मीनारें हैं और इसके कोनों को सुंदर गुंबद वाले छोटे बुर्जों से सजाया गया है। इसके चार खंडों को चौक के अंदर काउंसिल चेंबर के दोनों ओर के दो भागों में इस प्रकार से बांटा गया है कि ये काउंसिल चेंबर से किसी भी प्रकार जुड़े नहीं हैं। कार्यालय के बाहर गोल खंभों वाला एक चौरस मेहराबदार बरामदा है। भवन का हल्का सफेद रंग बहुत मनोरम है।

स्वतंत्रता के बाद पुराना सचिवालय भवन को समय–समय पर संवारा जाता रहा है तथा इसके परिदृश्य में और सुधार हुआ है। इस भवन में पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन, 1986 (प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस, 1986) व राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन, 1991 (कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस, 1991) जैसे अनेक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय आयोजन हुए हैं। भवन के साथ लगभग 10 एकड़ जमीन है जिसे उद्यान क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया है व जिसमें असेंबली हॉल के सामने एक अंडाकार पार्क भी सम्मिलित है। इस पार्क में एक ऊंचा फव्वारा भी है जिसे सामान्यतः उस समय चलाया जाता है जब लॉन में कोई महत्वपूर्ण आयोजन होता है, सदन चल रहा होता है अथवा कोई विदेशी प्रतिनिधिमंडल या महत्वपूर्ण व्यक्ति पुराना सचिवालय में आता है।

It is important to mention that the first convocation of Delhi University was also held in the Assembly Hall in Old Secretariat on 26th March, 1923 with 750 invitees. Honorary Degrees were conferred on Lord Reading, Sir Mohamad Jahan and Sir Hari Singh Gaur, (the first Vice Chancellor of Delhi University.)

In 1926, the Government of India was pleased to allot the Central portion of Old Secretariat building comprising the Assembly Hall and the adjacent rooms to the Delhi University on a monthly rental of Rs. 350/- and in September, the University took possession of the rooms.

When New Delhi was made the Capital of India and inaugurated in 1931, the Central Hall of Old Secretariat was used for the holding academic and cultural events.

With the coming up of New Delhi as the new Capital of India, the Old Secretariat fell in disuse for a long time. It, however, bubbled into activity again in 1952 when Delhi as Part-C State was given an Assembly. That Assembly was disbanded in 1956. In 1966, Delhi was given a Metropolitan Council whose deliberations also used to take place in this very building. Since December, 1993, the Old Secretariat continues to be the seat of Delhi Vidhan Sabha.

Architectural Design of Old Secretariat

The Old Secretariat is considered as a handsome building with a long front line and two lateral structures, the portion facing the Alipur Road curving gracefully in the center like a half moon. The Central doorway communicated with the Central chamber.

There are two minarets at each end and small towers decorate these corners with placid domes. Four blocks divided between the two sides of the Council Chambers stand inside the square in no way connected with the Chamber. A large Verandah with square archways and round pillars run in front of the office. The cream wash of the structure is very pleasing to eye.

After independence, the Old Secretariat building was given face-lifting from time to time and its landscape improved. The building has been the venue of several National and International Conferences such as the Presiding Officer’s Conference, 1986 and the Commonwealth Parliamentary Conference, 1991. Attached to the building is about 10 acres of land which has been converted into garden area including an oval shape park in front of the Assembly Hall. This park also has a high rising fountain which is generally made operational whenever some important functions are held in the lawn or when the Assembly is in session or when some foreign delegation or eminent dignitary visits Old Secretariat.

ध्वज–स्तंभों पर रंग बिरंगे झंडे लगा दिए जाते हैं जो अंडाकार लॉन के चारों ओर लहराते हुए इस भवन की शान को कुछ अलग ही छटा प्रदान करते हैं।

विधान सभा सभागार को जाने वाले द्वार के ठीक सामने पंडित मदन मोहन मालवीय की एक आवक्ष–प्रतिमा स्थापित है, जिसका उद्घाटन 25 दिसम्बर, 1971 को दिल्ली के पूर्व उप–राज्यपाल डॉ. ए. एन. झा द्वारा किया गया था। केन्द्र में स्थित अण्डाकार पार्क के बाहर और दोनों मीनारों के सामने विट्ठल भाई पटेल – भारत के प्रथम निर्वाचित विधान सभा अध्यक्ष और राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की प्रतिमाएँ स्थापित हैं। चबूतरे पर बनी विट्ठल भाई पटेल की प्रतिमा को वर्ष 1989 में स्थापित किया गया था और भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉ. शंकर दयाल शर्मा द्वारा 27 सितम्बर, 1989 को इसका औपचारिक रूप से अनावरण किया गया था। दूसरी तरफ इसी तरह के चबूतरे पर दांडी यात्रा की मुद्रा में महात्मा गाँधी की प्रतिमा को वर्ष 1992 में स्थापित किया गया था। 15 मार्च, 1997 को भवन के मुख्य द्वार के दाहिनी ओर दिल्ली के प्रथम मुख्य मंत्री (1952-56), चौ. ब्रह्म प्रकाश की प्रतिमा स्थापित की गई थी। बीच में बने हुए अण्डाकार पार्क में ग्रेनाइट पत्थर की एक पट्टिका स्थापित की गई है, जिस पर दिल्ली के विधान मण्डल के विभिन्न सदनों के राष्ट्रीय नेताओं (1912-1926) के नाम उत्कीर्ण हैं। इस पट्टिका और इसके पास ही में स्थापित स्वातंत्र्य शिला का अनावरण भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति द्वारा 12 मार्च 1998 को किया गया था।

विधान सभा के ऐतिहासिक सदन में देश के 09 प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेताओं के चित्र लगे हुए हैं। इन चित्रों में (i) श्रीमती इंदिरा गाँधी (जिसका अनावरण भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा द्वारा 20 नवम्बर, 1987 को), (ii) लाला लाजपत राय (जिसका अनावरण भारत के तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री राजीव गाँधी द्वारा 17 नवम्बर, 1990 को), (iii) डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर (जिसका अनावरण तत्कालीन मुख्य मंत्री, श्री मदनलाल खुराना द्वारा 14 अप्रैल, 1994 को), (iv) श्री सुभाषचन्द्र बोस (जिसका अनावरण तत्कालीन गृह मंत्री, श्री एल. के. आडवाणी द्वारा 16 जून, 1998 को) किया गया था, के चित्र शामिल हैं। इनके अतिरिक्त श्री विट्ठल भाई पटेल जो, ब्रिटिश शासन के दौरान इसी सदन में कार्यवाही की अध्यक्षता किया करते थे और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू, दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री, भारत के ग्यारहवें राष्ट्रपति श्री ए.पी.जे. अब्दुल कलाम और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के तैल चित्र भी इसी सदन की शोभा बढ़ा रहे हैं।

पुराना सचिवालय, दिल्ली विधान सभा का अधिष्ठान होने के साथ–साथ दिल्ली सरकार का भी अधिष्ठान है। पूरे भवन का प्रशासन विधान सभा अध्यक्ष के नियंत्रण में है। इस भवन के अन्दर प्रवेश को दिल्ली पुलिस के सुरक्षा कर्मियों की सहायता से विनियमित किया गया है। विधान सभा परिसर के अन्दर राजनीतिक रैलियों व धरनों इत्यादि की अनुमति नहीं है। विधान सभा सत्रों के दौरान जब दिल्ली के लगभग 2.50 करोड़ लोगों की नुमाइन्दगी करने वाले विधायक दिल्ली–वासियों की समस्याओं पर चर्चा और विचार–विमर्श करने के लिए इकट्ठा होते हैं, तब भवन की वास्तविक गतिविधियों में एक उफान–सा आने लगता है और पूरे विधान सभा परिसर में राजनीतिक घटनाक्रम में तीव्रता आ जाती है।

A number of multi-coloured bunting mounted on poles, put up and unfurled around the oval shape central lawn, provide a special touch to the majesty of the building.

In front of the main Gate leading to the Assembly Hall and outside the porch, there exists a bust of Pt. Madan Mohan Malviya, which was inaugurated by the former Lt. Governor of Delhi, Dr. A.N. Jha on 25th December, 1971. Outside the central oval shape park and facing the two minarets are the statues of Vithal Bhai Patel -the first elected Indian Speaker and Mahatma Gandhi-the Father of the Nation. The statue of Vithalbhai Patel mounted on a platform was installed in 1989 and formally unveiled by the then Vice President of India, Dr. Shankar Dayal Sharma on 27th September, 1989. Likewise the statue of Mahatma Gandhi in Dandi March posture, similarly mounted on the platform at the other end was installed in 1992. On the 15th March, 1997, the statue of Ch. Brahm Prakash, who was the first Chief Minister of Delhi (1952-56) was installed on the right side of the main entry gate of the building. The oval shape Central Park has a granite plaque on which the names of National Leaders of the Houses of Legislature in Delhi (1912-1916) are inscribed. The Plaque and the nearby Freedom Rock were unveiled by the then Vice President of India on 12th March, 1998.

Inside the historic Assembly Chamber, there are 09 portraits of eminent National Leaders. These include the portraits of (i) Smt. Indira Gandhi (unveiled by Dr. Shankar Dayal Sharma, the then Vice President on 20th November, 1987); (ii) Lala Lajpat Rai (unveiled by the then Prime Minister, Sh. Rajiv Gandhi on 17th November, 1990); (iii) Dr. Baba Saheb Ambedkar (unveiled by the then Chief Minister , Madan Lal Khurana on 14th April, 1994) and (iv) Subhash Chandra Bose (unveiled by Home Minister, L.K.Advani on 16th June, 1998). In addition, the portraits of Shri Vithalbhai Patel who used to preside in this very Hall during British days and India's first Prime Minister, Pt. Jawahar Lal Nehru, Second Prime Minister Shri Lal Bahadur Shastri, Elventh President of India Shri A.P.J. Abdul Kalam and Mahatma Gandhi, Father of Nation also adorn the Chamber.

The Old Secretariat is the seat of Delhi Assembly as well as of the Delhi Government. The administrative control over the building is exercised by the Speaker. The entry to the building has been regulated with the assistance of security personnel drawn from Delhi Police. Political rallies, dharnas etc. are not permitted inside the assembly precincts. The building bubbles into real activity during the days of Assembly sessions when MLAs representing nearly 2.50 crore people of Delhi assemble to discuss and deliberate the problems confronting the Delhiites.

दिल्ली का राजनीतिक ढाँचा : इतिहास एवं पृष्ठभूमि

पूर्वावलोकन

12 वीं शताब्दी के अन्त में उत्तरी भारत पर मुस्लिम शासकों की विजय के साथ ही दिल्ली भारत की राजधानी के रूप में उभरकर सामने आयी। बीच के कुछ अन्तरालों को छोड़कर दिल्ली विभिन्न उत्तरवर्ती साम्राज्यों और राजवंशों की राजधानी रही है। आज छह पुरानी दिल्लियाँ खण्डहर के भारी अवशेषों के रूप में अलग–अलग स्थानों पर बिखरी पड़ी हैं। सातवीं दिल्ली वर्तमान पुरानी दिल्ली है और आठवीं निःसन्देह नई दिल्ली है; जिसका उद्‌घाटन औपचारिक रूप से 11 फरवरी, 1931 को किया गया था। मौजूदा दिल्ली समय–समय पर निर्मित विभिन्न दिल्लियों के मलबे पर खड़ी है।

अक्टूबर, 1858 तक देश का प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी ब्रिटिश व्यापारियों के एक संगठन–ईस्ट इंडिया कम्पनी के हाथों में थी। तथापि 1 नवम्बर, 1858 को देश का प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी ईस्ट इंडिया कम्पनी के हाथों से ब्रिटिश ताज को स्थानान्तरित कर दी गयी। ब्रिटिश ताज की ओर से देश का प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी, जिसमें दिल्ली भी शामिल थी, भारत के वायसराय को सौंप दी गई। चूंकि ईस्ट इंडिया कम्पनी का मुख्य कार्यालय कलकत्ता में था, अतः कलकत्ता ब्रिटिश सरकार का भी कार्यालय बन गया।

इसीलिए दिल्ली ने काफी हद तक अपना पूर्व महत्व खो दिया। चौहानों, तुर्कों, अफगानों और मुगलों का यह शाही शहर एक जिले के शहर के दर्जे तक आ गया और पंजाब प्रान्त का एक हिस्सा बन गया। यह नगर वर्ष 1912 में ब्रिटिश भारत की राजधानी बनने तक पंजाब प्रान्त का एक हिस्सा बना रहा।

चूंकि कलकत्ता केन्द्रीय सरकार और बंगाल की प्रान्तीय सरकार दोनों का ही मुख्यालय था, अतः बंगाल के गवर्नर और भारत के गर्वनर–जनरल के बीच प्रशासनिक प्राधिकार और अधिकार क्षेत्र को लेकर खींचतान और झगड़े चलते रहते थे। जब गवर्नर लार्ड हार्डिंग द्वारा केन्द्रीय सरकार के कार्यालय को प्रान्तीय सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखने की इच्छा पर जोर देने से संबंधित दिनांक 25 अगस्त, 1911 को भेजे गए अपने पत्र के जरिये, लंदन में सैक्रेटरी ऑफ द स्टेट, मारक्वैस ऑफ क्रीव की जानकारी में ये मतभेद लाये गये तो सैक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया ने अपने उत्तर में राजधानी में शासन का केन्द्रीयकरण करने हेतु अविभाजित केन्द्रीय नियंत्रण की सिफारिश की।

अधिकार क्षेत्र और प्राधिकार के इन झगड़ों के कारण ब्रिटिश सरकार को मजबूरन अपनी राजधानी को स्थानांतरित करना पड़ा। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया और इस तरह दिल्ली ने वर्ष 1912 में एक नये चरण में प्रवेश किया। राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित किये जाने की घोषणा किंग जॉर्ज पंचम द्वारा किंग्जवे कैम्प के निकट स्थित कॉरोनेशन दरबार में की गई थी।

DELHI'S POLITICAL SET-UP : HISTORY AND BACKGROUND

In retrospect

Delhi emerged as the Capital of India with the Muslim conquest of Northern India at the end of the 12th century. Except for some interludes, Delhi has been the capital of succeeding empire and dynasties. Six older Delhis are lying scattered today at different places as mass of ruins. The Seventh is the present Old Delhi and the Eighth, of course, is New Delhi which was formally inaugurated on 11th February, 1931. The Delhi of today stands on or about the debris of the various Delhis built from time to time.

Till October, 1858, the responsibility of running the Government of the country rested with the East India Company- an organization of British tradesmen. However, on 1st November, 1858 the responsibility of running the Government of the country was transferred from the East India Company to the British Crown. On behalf of the British Crown, the Viceroy of India was entrusted with the responsibility of governance of the country, including Delhi. Since the East India Company had its headquarters at Calcutta, therefore Calcutta became the seat of the British Government.

With that, Delhi lost much of its former importance. The Imperial city of the Chauhans, Turks, Afghans and Mughals was reduced to the status of a District Town, forming a part of Punjab province. The city remained a part of Punjab till Delhi was made a Capital of British India in 1912.

As Calcutta was the seat of both the provincial Government of Bengal and the Central Government, conflicts of administration authority and jurisdiction often occurred between the Governor of Bengal and the Governor-General of India. When these differences were brought to the notice of the Secretary of State, Marquess of Crewe, in London by the Governor-General, Lord Hardinge in his dispatch dated August 25, 1911, emphasizing the desirability of keeping apart the seat of the Central Government from the jurisdiction of a Provincial Government, the Secretary of State for India in his reply put the case for undivided central control over the Capital more succinctly.

These conflicts of jurisdiction and authority forced the British Government to shift its Capital. Thus, Delhi entered a new phase when, in 1912, the Imperial Capital was shifted from Calcutta to Delhi. The announcement about the shifting of the Capital was made at coronation Durbar near Kingsway camp by King George V.

1 अक्टूबर, 1912 को जारी की गई एक उद्‌घोषणा के जरिए दिल्ली को मुख्य आयुक्त का प्रान्त (चीफ कमिशनर्स प्रोविन्स) बना दिया गया। दिल्ली जिला की दो तहसीलें, पूरा सोनीपत और 280 वर्ग मील की बल्लभगढ़ तहसील को दिल्ली से अलग कर दिया गया और उन्हें क्रमशः रोहतक और गुड़गांव जिलों के साथ जोड़ दिया गया और दिल्ली की तहसील तथा महरौली पुलिस थाने के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र को मिलाकर दिल्ली का नया प्रान्त बनाया गया। इसका क्षेत्र 528 वर्ग मील था। उस समय इसकी जनसंख्या 2,32,837 थी जो अब करीब सौ गुना बढ़कर लगभग एक करोड़ हो गई है।

कुछ वर्षों बाद राजधानी की सीमा को थोड़ा–सा बढ़ाया जाना आवश्यक हो गया। तदनुसार 12 अप्रैल, 1915 को एक उद्‌घोषणा के जरिए 65 गाँवों के संगठित प्रान्तों और शाहदरा के नगर समेत 45 वर्ग मील के एक छोटे से क्षेत्र को दिल्ली प्रान्त के साथ मिला दिया गया। तब से दिल्ली राज्य क्षेत्र में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। आज इसका क्षेत्रफल 1483 वर्ग कि.मी. है।

स्वतन्त्रता के बाद की दिल्ली

स्वतन्त्रता के बाद से दिल्ली के राजनीतिक और प्रशासनिक ढाँचें में कई बदलाव आ चुके हैं। स्वतन्त्रता से पहले दिल्ली में कई नगरपालिकाएं थीं और इसके प्रशासन की देख–रेख मुख्य आयुक्त द्वारा की जाती थी। स्वतन्त्रता के बाद दिल्ली को 'पार्ट–सी' राज्य का दर्जा दिया गया।

दिल्ली राज्य विधान सभा 'पार्ट–सी राज्य सरकार अधिनियम, 1951' के अन्तर्गत 17 मार्च, 1952 में अस्तित्व में आई। पुराना सचिवालय के इस लोकप्रिय ढाँचे का उद्‌घाटन करते समय तत्कालीन गृहमंत्री श्री के.एन. काटजू ने इस शुभ अवसर का स्वागत "ऐतिहासिक राजधानी दिल्ली के इतिहास में एक अत्यन्त गौरवशाली अवसर" के रूप में किया था।

वर्ष 1952 की विधान सभा में 48 सदस्य थे। जिन मामलों के बारे में राज्य विधान सभा को कानून बनाने की शक्तियाँ प्रदान की गई थीं, उनके संबंध में मुख्य आयुक्त को अपने कार्यों का निष्पादन करने हेतु सहायता एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद् का प्रावधान किया गया था। प्रथम मंत्रिपरिषद् के अध्यक्ष चौ० ब्रह्म प्रकाश थे।

यद्यपि 'पार्ट–सी' राज्यों को प्रदान की गई विधायी शक्तियाँ सीमित थीं और दिल्ली विधान सभा की विधायी शक्तियों को और भी कम कर दिया गया था, जैसा कि 'पार्ट–सी राज्य अधिनियम, 1951' की धारा 21 के उपबन्ध से प्रमाणित होता है।

'राज्य पुनर्गठन आयोग' (1955) की सिफारिशों के अनुसरण में 1 नवम्बर, 1956 से दिल्ली को दिया गया 'पार्ट–सी' राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया। विधान सभा और मंत्रिपरिषद् को समाप्त कर दिया गया और दिल्ली राष्ट्रपति के प्रत्यक्ष प्रशासन के अधीन एक केन्द्रशासित क्षेत्र बन गया। आयोग की एक अन्य सिफारिश के अनुसार 'दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957' लागू हुआ, जिसके अन्तर्गत सम्पूर्ण दिल्ली के लिए नगर निगम का गठन किया गया, जिसमें व्यस्क मताधिकार के आधार पर सदस्य चुनने का प्रावधान रखा गया था।

Through a Proclamation issued on October 1, 1912, Delhi was made a Chief Commissioner's Province. Two Tehsils of Delhi Districts, complete Sonepat and Ballabhgarh Tehsil of 280 Sq. miles were separated from Delhi and were joined to Rohtak and Gurgaon Districts respectively, and the Tehsil of Delhi and the area falling under the Mehrauli Police Station were joined to constitute the new Province of Delhi. It covered an area of 528 sq. miles. Its population at that time was 2,32,837 which has now increased to nearly hundred times to over one crore.

After a few years, it was considered essential to expand the boundaries of the Capital a little further. Accordingly, through a Proclamation issued on April 12, 1915, a small area of 45 sq. miles from the United Provinces comprising some 65 villages, and including the Township of Shahdara, were added to the Province of Delhi. Today, the territory of Delhi has an area of 1483 sq. kms.

Post-Independence Delhi

The political and administrative set up of Delhi has undergone several changes after independence. Prior to independence, Delhi has a number of Municipalities and its administration was being looked after by Chief Commissioner. After independence, Delhi was given the status of Part-C State.

The Delhi State Legislative Assembly came into being on 7th March, 1952 under the Government of Part-C States Act, 1951. While inaugurating the popular set up at Old Secretariat, the then Home Minister Sh. K.N.Katju had hailed the event as "a crowning glory of the annals of historical Capital Delhi."

The 1952 Assembly consisted of 48 members. There was a provision for a Council of Minister to aid and advice the Chief Commissioner in the exercise of his functions in relation to matters in respect of which the State Assembly was given powers to make laws. The first Council of Ministers was headed by Ch. Braham Prakash.

However, legislative powers granted to Part-C States were limited and the legislative powers of Delhi Assembly had been further curtailed as is evident from the proviso to Section 21 of the Part-C States Act, 1951.

In pursuance of the recommendations of the State Reorganisation Commission (1955), Delhi ceased to be a Part-C State with effect from 1st November, 1956. The Delhi Legislative Assembly and the Council of Ministers were abolished and Delhi became Union Territory under the direct administration of the President. In accordance with another recommendation of the Commission, the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 was enacted constituting Municipal Corporation for the whole of Delhi with members elected on the basis of adult franchise.

दिल्ली में लोकतांत्रिक व्यवस्था और उत्तरदायी प्रशासन प्रदान किये जाने के लिए जनमत का अत्यधिक दबाव था। इस मांग की आंशिक पूर्ति हेतु और 'प्रशासनिक सुधार आयोग' की सिफारिशों के आधार पर 'दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966' अधिनियमित किया गया। अधिनियम में 'महानगर परिषद्' के नाम से एक विमर्शात्मक निकाय का प्रावधान रखा गया जिसको केवल अनुशंसात्मक शक्तियाँ प्राप्त थीं। इस नये ढाँचे के शीर्षस्थ पदाधिकारी उपराज्यपाल अथवा प्रशासक थे, जिनकी नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 239 के अन्तर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा की गयी थी। एक कार्यकारी परिषद् भी गठित की गयी थी, जिसमें एक मुख्य कार्यकारी पार्षद् और तीन कार्यकारी पार्षद् शामिल थे। 61 सदस्यों की यह महानगर परिषद् एक–सदनीय लोकतांत्रिक निकाय थी जिसमें 56 निर्वाचित सदस्य और 5 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य थे।

महानगर परिषद के कार्यकाल का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

महानगर परिषद का कार्यकाल व प्रत्येक परिषद में आहूत सत्रों की संख्याः

क्र. सं.	महानगर परिषद	कार्यकाल से	तक	आहूत सत्रों की संख्या	कार्यकारी पार्षद का नाम
1.	अंतरिम	1966	1967	1	श्री मीर मुश्ताक अहमद
2.	प्रथम	1967	1972	17	प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा
3.	द्वितीय	1972	1977	17	श्री राधा रमण
4.	तृतीय	1977	1980	10	श्री केदार नाथ साहनी
5.	चतुर्थ	1983	1990	20 (जनवरी 1989 तक)	श्री जगप्रवेश चंद्र

महानगर परिषद् के इस ढाँचे में बहुत–सी अंदरूनी खामियां थीं। इसे कोई विधायी शक्ति प्राप्त नहीं थी और दिल्ली के शासन में इसकी मात्र एक सलाहकार की ही भूमिका थी। इसलिए उप–राज्यपाल की सहायता और सलाह–मशवरे के लिए मंत्रिपरिषद् सहित पूर्ण राज्य विधान सभा की मांग हमेशा उठती रही। तद्नुसार 24 दिसम्बर, 1987 को भारत सरकार ने सरकारिया समिति की नियुक्ति की (जिसे बाद में बालकृष्ण समिति के नाम से जाना गया), जिसका उद्देश्य दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित विभिन्न मुद्दो का अध्ययन करना और प्रशासनिक ढाँचे को सुव्यवस्थित करने हेतु उपाय सुझाना था। समिति ने 14 दिसम्बर, 1989 को अपनी रिपोर्ट पेश की।

There was considerable pressure of public opinion for providing a democratic set up and a responsive administration for Delhi. In partial fulfillment of this demand and on the basis of recommendations of Administrative Reforms Commission, the Delhi Administration Act, 1966 was enacted. The Act provided for a deliberative body called Metropolitan Council having recommendatory powers. At the top, there was Lieutenant Governor or Administrator who was appointed by the President of India under Article 239 of the Constitution. There was an Executive Council consisting of one Chief Executive Councilor and three Executive Councilors. The Metropolitan Council was a unicameral democratic body consisting of Member – 56 elected and 5 nominated by the President.

Details of the tenure of the Metropolitan Council of Delhi are given in the Table below :

Tenure of the Metropolitan Council and number of Sessions held by each Council

S. No.	Metro-politan Council	Tenure From	Tenure To	No. of Sessions held	Name of Executive Councillor
1.	Interim	1966	1967	1	Sh. Mir Mushtaq Ahmed
2.	First	1967	1972	17	Prof. Vijay Kumar Malhotra
3.	Second	1972	1977	17	Sh. Radha Raman
4.	Third	1977	1980	10	Sh. Kedar Nath Sahni
5.	Fourth	1983	1990	20 (up to January 1989)	Sh. Jag Pravesh Chandra

The Metropolitan Council set-up suffered from many inherent deficiencies. It had no legislative powers and it had only an advisory role in the governance of Delhi. There was, therefore, a continuous demand for a fulfledged State Assembly with Council of Ministers to aid and advice the Lieutenant Governor. Accordingly, on 24th December, 1987, the Government of India appointed Sarkaria Committee (later on called Balakrishan Committee) to go into the various issues connected with the administration of Union Territory of Delhi and to recommend measures for streamlining the administrative set up. The Committee submitted its report on 14th December, 1989.

समिति ने मामले की विस्तार से जाँच की और विभिन्न व्यक्तियों, संगठनों, राजनीतिक दलों और अन्य विशेषज्ञों से चर्चा करने के बाद विषयों पर विचार–विमर्श किया। समिति ने संघीय व्यवस्था वाले अन्य देशों की राष्ट्रीय राजधानियों में विद्यमान प्रबन्धों और पूर्व समितियों एवं आयोगों के प्रतिवेदनों पर भी विचार–विमर्श किया। विस्तृत जाँच एवं परीक्षण के उपरान्त इसने अनुशंसा की कि दिल्ली को संघ क्षेत्र ही बना रहना चाहिए किन्तु इसे आम आदमी से जुड़े मामलों/ समस्याओं को सुलझाने की दृष्टि से उपयुक्त शक्तियों सहित एक विधान सभा और ऐसी विधान सभा के प्रति उत्तरदायी एक मंत्रिपरिषद् दी जानी चाहिए। समिति ने स्थिरता एवं स्थायित्व को सुनिश्चित करने के लिए यह अनुशंसा भी की कि केन्द्र शासित क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजधानी को विशेष दर्जा देने हेतु संविधान में ही उपयुक्त प्रावधान किया जाना चाहिए।

बालकृष्णन समिति की अनुशंसाओं के अनुरूप संसद ने संविधान (69वाँ) संशोधन अधिनियम, 1991 पारित किया, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ दिल्ली की विधान सभा के लिए संविधान में 239एए तथा 239 एबी की नई धाराएँ जोड़ी गयीं। ''राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991'' नामक एक और विस्तृत कानून पास किया गया जो विधान सभा और मंत्रिमंडल तथा उनसे संबंधित मामलों की अनुपूर्ति करता था।

The committee went into the matter in great details and considered the issues after holding discussions with various individuals, associations, political parties and other experts. It also considered the arrangements existing in the National Capitals of other countries with a federal set-up and also the reports by earlier committees and commissions. After detailed enquiries and examinations, it recommended that Delhi should continue to be a Union Territory but should be provided with a Legislative Assembly and a Council of Ministers responsible to such Assembly with appropriate powers to deal with matters of concern to the common man. The Committee also recommended that with a view to ensuring stability and permanence, the arrangements should be incorporated in the Constitution to give the National Capital a special status among the Union Territories.

In accordance with the recommendation of the Balakrishnan Committee, the Parliament passed the Constitution (69th Amendment) Act, 1991, which inserted the new Articles 239AA and 239AB in the Constitution providing, inter alia, for a Legislative Assembly for Delhi. Another comprehensive legislation passed by Parliament called "the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991", supplements the Constitutional provisions relating to the Legislative Assembly and the Council of Ministers and matters related thereto.